जस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2002/कार्तिक 23, 1924
No. 519] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2002/KARTIKA 23, 1924

IndiaCode

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2002

सा.का.नि. 763(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में :—

(i) अनुसूची 1 में, उपशीर्ष II. "मन:प्रभावी पदार्थ" के अधीन, मद 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) अनुसूची 3 में, क्रम संख्यांक 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

1	2	3	4
"2	ब्रोमाजेपाम		7-ब्रोमो-1, 3-डाइहाइड्रो-5-(2 पिरीडिल)-2 एच-1-बैंजोडायोजैपिन-2-एक।"

[फा. सं. वी/26/2002-एनसी. II]

श्यामला मोहन, अवर सचि

टिप्पणी :— मूल नियम भारत का राजपत्र सा.का.नि. 837 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 786 (अ) तारी 26-10-1992, का.आ. 599 (अ) तारीख 10-8-1993, सा.का.नि. 748 (अ), तारीख 14-12-1993, सा.का.नि. 543 तारी 24-10-1994, सा.का.नि. 82 तारीख 14-2-1995, सा.का.नि. 556 (अ), तारीख 14-7-1995, सा.का.नि. 25 (अ), तार 12-1-1996, सा.का.नि 509 (अ), तारीख 4-11-1996, सा.का.नि 350 (अ), तारीख 25-6-1997 और सा.का.नि 214 (तारीख 19-3-2002, द्वारा इनमें संशोधन किए गए हैं।

Attested

(1)

3479 GI/2002

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2002

G.S.R. 763(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to am the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 :—

(i) in Schedule I, under sub-heading II, "Psychotropic Substances", item 4 and the entries relating thereto s be omitted;

(ii) in Schedule III, after Sl. No. 1, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
"2	Bromazepam		7-Bromo-1, 3-dihydro-5-(2 pyridyl)-2H 4-benzodiazepin-2-one."

[F. No. V/26/2002-N

SHYAMALA MOHAN, Under S

Note :— Principal Notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 837 (E), dated 14-11-1985 and amende SO 786(E), dated 26-10-1992, SO 599(E), dated 10-8-1993, G.S.R. 748(E), dated 14-12-1993, G.S.R. 543, dated 24-10-1 G.S.R. 82, dated 14-2-1995, G.S.R. 556(E), dated 14-7-1995, G.S.R. 25(E), dated 12-1-1996, G.S.R. 509(E), dated 4-11-1 G.S.R. 350(E) dated 25-6-1997 and G.S.R. 214(E), dated 19-3-2002.

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode